

श्रमिक संघ निबंधन का फ्लो चार्ट

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 एवं औद्योगिक संबंध (बिहार) नियमावली, 2026 के अनुसार | आवेदन: serviceonline.bihar.gov.in

1. संघ बनाने का निर्णय

कम से कम 7 सदस्य; सदस्य प्रतिष्ठान के कुल श्रमिकों के 10% या 100 (जो कम हो) – धारा 6



2. आम सभा / बैठक में संकल्प पास करें

(क) नियमावली अपनाना (ख) आवेदकों को अधिकृत करना (ग) महासंघ हो तो हर घटक संघ का पृथक प्रस्ताव



3. दस्तावेज़ तैयार करें

प्रपत्र-III शपथ-पत्र • नियमावली + संकल्प • सदस्य-सूची व आधार की सत्यापित प्रति • प्रपत्र-IV (संघ 1 वर्ष से पुराना हो तो)



4. पोर्टल पर पंजीकरण / लॉगिन

serviceonline.bihar.gov.in • स्वयं Login-ID व Password बनाएँ



5. ऑनलाइन आवेदन जमा करें

सेवा “संघों के निबंधन हेतु आवेदन” चुनें • प्रपत्र-V के अनुसार विवरण • दस्तावेज़ अपलोड • शुल्क ₹500 • आवेदन संदर्भ संख्या सुरक्षित रखें (नियम 10, 12)



6. निबंधक द्वारा जाँच

धारा 6, 7, 8, 13, 21, 23 • आवश्यक हो तो अतिरिक्त सूचना की माँग (धारा 8(3))



क्या आवेदन व शर्तें पूर्ण हैं?

नहीं →

कमी / नाम भ्रामक होने पर सूचना

आवेदक सुधार कर पुनः भेजे ७ चरण 6 पर वापसी



सुधार न होने पर इनकार

पीड़ित 60 दिन के भीतर न्यायाधिकरण में अपील कर सकता है (धारा 10; नियम 14)



7. रजिस्टर में प्रविष्टि

प्रपत्र-VII, इलेक्ट्रॉनिक (धारा 9(3); नियम 13)



8. निबंधन प्रमाण-पत्र जारी

प्रपत्र-VI (धारा 9(2)) – निबंधन का निर्णायक प्रमाण



9. निबंधन के बाद के दायित्व

वार्षिक विवरणी प्रपत्र-IX में हर वर्ष 31 जुलाई तक (नियम 22) • पते/नियमों में बदलाव की सूचना (धारा 11) • पत्राचार केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से (नियम 15)